भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1156

दिनांक 14.12.2022 को उत्तर देने के लिए

अवैध रेत खनन

†1156. डॉ. निशिकांत दुबे:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के नदी तल में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध खनन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर झारखंड में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में नदियों से रेत खनन को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान झारखंड राज्य में पंजीकृत शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार/जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (घ): खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) की धारा 3(ङ) के तहत रेत एक गौण खनिज है। एमएमडीआर अधिनियम की धारा 15 राज्य सरकारों को गौण खनिजों के संबंध में और उनसे जुड़े उद्देश्यों के लिए उत्खनन पट्टे, खनन पट्टे या अन्य खनिज रियायतें प्रदान करने को विनियमित करने हेतु नियम बनाने का अधिकार देती है। अतः, गौण खनिजों का विनियमन राज्य सरकारों के वैधानिक और प्रशासनिक कार्यक्षेत्र में आता है।

इसके अलावा, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23ग राज्य सरकारों को खनिजों के अवैध खनन, ढुलाई और भंडारण को रोकने और उससे जुड़े उद्देश्यों के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। अतः, अवैध खनन पर नियंत्रण राज्य सरकारों के वैधानिक और प्रशासनिक कार्यक्षेत्र में आता है।

तथापि, खान मंत्रालय ने रेत खनन में स्थिरता, उपलब्धता, सामर्थ्य और पारदर्शिता के उद्देश्य से राज्यों में सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करते हुए राज्यों के खनन विभागों के परामर्श से एक 'रेत खनन फ्रेमवर्क' तैयार किया है। 'रेत खनन फ्रेमवर्क' को आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी राज्य सरकारों को परिचालित किया गया है। इसके अलावा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 जारी किए हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ रेत खनन के विनियमन से संबंधित मुद्दों का समाधान करते हैं।

******